नय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजस्थान)
ोन अधिकारीः—श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.
ा संख्याः—63/2018 प्रार्थना पत्र

गणेश पिता नंदा माली, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
भैरू पिता नंदा माली, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
---प्रार्थीगण

बनाम

नंदा पिता डालू माली, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
देबी पिता गोपी मीणा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
कालू पिता मथरा मीणा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—..13.6.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 यम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा ल व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 3787/3668 रकबा 6 2 बिस्वा भुमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.3.2018 को पंजीबद्व किया प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार रेत किये जाते हैं।क्योंकि वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीसंख्या 2 व 4 के विरूद्व कोई कार्यवाही चाहने के कारण कार्यवाही ड्रोप दिनांक 13.6.2018 को की गयी। विपक्षी संख्या 1 व 3 ने ण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत दिनांक 13.6.2018 को उपस्थित होकर सहमति की। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार जाकर ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते खातों की आराजी नम्बर 3787/3668 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भुमि के चारो तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने भू–अभिलेख निरीक्षक सुवाणा को 700/–रूपये (अक्षरेः– सात सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस मिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगणे मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये ील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

लिपिः—तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner